

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266924
SG-DL-E-15102025-266924

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]	दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 274
No. 306]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 274

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2025

दिल्ली नगर निगम चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2025

सं. फा. 4 (3)/उप-चुनाव/विधि/रा.चु.आ./2025/20898.—जबकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, जैसा आज तक संशोधित है, की धारा-7 के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त में निहित है।

और जबकि, दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लिए राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय एवं राज्यों) द्वारा प्रायोजित चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के चुनाव और आवंटन का प्रावधान करना आवश्यक है।

अब इसलिए, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, की धारा-7 (इसके आगे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली नगर निगम (नगर पार्षदों का चुनाव) नियम 2012 के नियम 15 के साथ पठित (इसके आगे 'नियमों' के रूप में संदर्भित) और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधान और इस विषय पर सभी पूर्व अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली राज्य का चुनाव आयोग एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है:—

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयुक्ति एवं जारी करना:—

(क) इस आदेश को "दिल्ली नगर निगम चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2025 " कहा जाएगा। यह दिल्ली नगर निगम के वार्डों के आगामी चुनावों के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम के पूरे क्षेत्रों में विस्तारित वार्डों के चुनावों के सम्बन्ध में लागू होता है।

(ख) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ, व्याख्या :—

(क) इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'आयोग' शब्द का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग है।

(ख) 'नगर निगम' का अर्थ दिल्ली नगर निगम है।

(ग) 'वार्ड' का अर्थ दिल्ली नगर निगम का वार्ड है।

(घ) 'राष्ट्रीय दल' का अर्थ है, वह दल जो भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के साथ पठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त ऐसा दल है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लोकसभा/विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।

(ङ) 'दिल्ली राज्य दल' का अर्थ है वह राज्य दल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त वह दल जो भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के साथ पठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए एक आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।

(च) "अन्य राज्य पार्टी" का अर्थ है, वह दल जो भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के साथ पठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29-ए के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी राज्य या राज्यों में, जिसमें लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए एक आरक्षित प्रतीक आवंटित किया गया है।

(छ) 'अधिनियम' का अर्थ दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 जो समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(ज) 'नियमों' का अर्थ "दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियम, 2012" है।

3. राष्ट्रीय एवं राज्य दलों को मान्यता:—

(क) भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों हेतु, जो राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई है तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह आदेश संख्या 56/25/2024/पीपीएस-II(एनपी), दिनांक 27.03.2024 द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित किया गया है, के अनुसार आयोग एतद्वारा इसके पश्चात् होने वाले दिल्ली के नगर निगम के चुनावों हेतु उक्त नियम के नियम 15 के प्रावधानों के अंतर्गत उसी रूप में उन्हें मान्यता प्रदान करता है।

(ख) इस आयोग ने भी राष्ट्रीय दलों व राज्य दलों के लिए उन्हीं चुनाव चिन्हों को अपनाया है, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने कथित दलों के लिए आरक्षित किया है और न कि किसी अन्य चुनाव चिन्ह को।

- (ग) लोकसभा व विधानसभा के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों व अन्य प्रत्याशियों (स्वतंत्र) सहित के लिए चुनाव चिन्हों का जो प्रतिरूप (आकार और रूप) निर्धारित किया है, उन्हें यह आयोग भी दिल्ली नगर निगम के आगामी व उससे आगे होने वाले चुनावों के लिए उसी रूप और आकार में अपनाता है और निर्धारित करता है। (ऐसे राष्ट्रीय दलों व राज्य दलों के नाम व निर्धारित चुनाव चिन्हों की सूची का विवरण क्रमशः अनुसूची-1 में संलग्न सारणी I और II में दर्शाया गया है)।
- (घ) अन्य प्रत्याशियों (स्वतंत्र) द्वारा चयन करने के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्हों की सूची जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह आदेश संख्या 56/25/2024/पीपीएस-II (एफएस), दिनांक 23.03.2024 द्वारा निर्धारित की गई है। जो अनुसूची I की सारणी III में दर्शायी गई है। जिसे इस आयोग द्वारा भी उक्त नियम 15 के अंतर्गत उल्लिखित नगर निगम चुनाव के लिए अपनाया गया है।

4. राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव चिन्ह का चयन और उनका आवंटन :-

- (क) दिल्ली नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी का नियमावली में दिए गए प्रावधानों तथा उपरोक्त आदेश तथा इस संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा।
- (ख) राष्ट्रीय दल द्वारा दिल्ली नगर निगम के वार्ड के चुनाव के लिए नामित किया गया प्रत्याशी उसी चुनाव चिन्ह का चयन करेगा और वही चिन्ह उसे आवंटित किया जाएगा, जो उस दल के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित है, न कि कोई अन्य चिन्ह।
- (ग) यदि दिल्ली नगर निगम के किसी वार्ड के चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी ऐसे राज्य दल द्वारा नामित किया जाता है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और वह ऐसे चुनाव चिन्ह का इच्छुक है अथवा चयन करना चाहता है जो उस दल के लिए उस राज्य या राज्यों में आरक्षित है, जहां वह दल मान्यता प्राप्त राज्य दल है (अनुसूची I में सारणी II देखें) तो अन्य प्रत्याशियों को छोड़कर वह चिन्ह केवल उस प्रत्याशी को निम्न शर्तों को पूरा करने पर आवंटित कर दिया जाएगा।
- दिल्ली नगर निगम के चुनावों के लिए ऐसे राज्य दल द्वारा उनके नामित अभ्यर्थी को उसी दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह को आवंटन करने के लिए उस दल द्वारा आयोग को चुनाव का आह्वान करने हेतु राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि के तीन दिन के अन्दर आयोग में आवेदन करना होगा।
 - उक्त अभ्यर्थी ने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की है कि वह दिल्ली नगर निगम के वार्ड के चुनाव हेतु उस दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा दल ने इस आदेश के पैरा 5 के खंड (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) की अपेक्षाओं को भी पूरा कर लिया है।
 - आयोग की राय में ऐसे आवंटन के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है।
- (iv) यदि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एक ही समान 'आरक्षित' चिन्ह को एक से अधिक राज्य दलों के प्रत्याशी उसी 'आरक्षित' चिन्ह का चुनाव करते हैं, उस स्थिति में लॉटरी द्वारा राज्य दल के उम्मीदवार को आरक्षित चिन्ह आवंटित किया जाएगा तथा किसी अन्य पद्धति द्वारा नहीं। शेष समस्त या कोई भी राज्य दल जिसका उम्मीदवार उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई पद्धति के अनुरूप 'आरक्षित चिन्ह' प्राप्त नहीं करता तो उसे निर्दलीय उम्मीदवारों से ऊपर प्राथमिकता देकर निर्वाचन अधिकारी उसकी पसंद का 'स्वतंत्र चुनाव चिन्ह' आवंटित करेगा।
- (v) राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में एक प्रस्तावक से फाईल करना होगा तथा उनके लिए चुनाव चिन्ह की पसंद जो उनके नामांकन पत्र में भरी गई है, वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस दल के लिए किए गए आरक्षण तक ही प्रतिबन्धित होगी।
- (vi) राज्य दलों द्वारा नामित प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्रों में दस (10) प्रस्तावक लेने होंगे और उनकी चुनाव चिन्ह की पसंद जो उनके नामांकन पत्र में दर्शायी गई हो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस राज्य या राज्यों में मान्यता-प्राप्त उस दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह तक सीमित होगी।
- (घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को सभी प्रयोजनों के लिए वांछित प्रस्तावकों की संख्या जोकि 10 है तथा चुनाव चिन्हों के आवंटन हेतु स्वतंत्र उम्मीदवार ही समझा जाएगा। चुनाव चिन्हों के आवंटन हेतु ऐसे उम्मीदवारों को अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी अथवा दिल्ली नगर निगम के किसी भी वार्ड में उपरोक्त दल के सभी प्रत्याशियों को केवल एक ही चुनाव चिन्ह आवंटन हेतु कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।

- (ड़) (i) दिल्ली नगर निगम के वार्ड के चुनाव हेतु राष्ट्रीय दल अथवा अन्य राज्यों के राजनैतिक दल के प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य प्रत्याशी उस संदर्भ में बनाए गए इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार इनमें से एक स्वतंत्र चिन्ह को चुनेगा व वह चिन्ह इसी आदेश में दिए प्रावधानों के अनुसार 'स्वतंत्र' चिन्हों में से एक चिन्ह उसे आवंटित कर दिया जाएगा।
- (ii) प्रत्येक प्रत्याशी को एक पृथक चुनाव चिन्ह, जैसा कि प्राथमिकता के आधार पर उसके नामांकन पत्र में उल्लिखित होगा, जहां तक संभव हो उसके नामांकन पत्र में दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर प्रदान कर दिया जाएगा;
- (iii) यदि एक से अधिक ऐसे प्रत्याशियों ने उसी चुनाव चिन्ह को प्राथमिकता दी है, तो रिटर्निंग अधिकारी लॉटरी द्वारा निर्णय लेगा कि वह चुनाव चिन्ह किस प्रत्याशी को दिया जाए;
- (iv) दूसरे प्रत्याशी जो ऊपर (ii) या (iii) में निहित प्रावधानों में नहीं आते उनको बचे हुए स्वतंत्र चुनाव चिन्हों में से जहां तक संभव हो सके, उसकी इच्छानुसार एक चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया जाएगा :

यदि फिर भी कोई प्रत्याशी अपने प्रथम नामांकन पत्र में दी गई चुनाव चिन्हों की तीन प्राथमिकताओं के आधार पर ही चिन्ह लेने का हठ करता है तथा वह इस वार्ड में बचे चिन्हों में से कोई और चिन्ह लेने की कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए मना करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी शेष बचे 'स्वतंत्र चुनाव चिन्हों' में से एक चिन्ह उसे आवंटित कर देगा तथा उसका इस संदर्भ में यह निर्णय अन्तिम निर्णय होगा जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी का यह कार्य उपरोक्त निर्देशों के प्रतिकूल न हो।

5. राष्ट्रीय एवं राज्य दलों द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटन हेतु अधिकृत करना :-

- (क) इस आदेश के उद्देश्य हेतु एक प्रत्याशी को मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा तभी नामित करना माना जाएगा जबकि उस प्रत्याशी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में इस निमित्त घोषणा कर दी गई है।
- (ख) प्रत्याशी अथवा एवजी प्रत्याशी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में उसने दल के लिए 'आरक्षित' चुनाव चिन्ह का ही चयन किया है और किसी अन्य चुनाव चिन्ह का नहीं।
- (ग) नामांकन भरने की अन्तिम तिथि को सायं 03.00 बजे तक उस वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी को जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के चुनाव आयोग को भी संबंधित दल द्वारा फार्म 'बी' में लिखित नोटिस प्राप्त करवा दिया जाएगा।
- (घ) उपरोक्त नोटिस फार्म 'ए' में प्राधिकृत व्यक्ति, दल के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा स्याही/बाल पेन से हस्ताक्षरित हो, मोहर या छाप द्वारा किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे। इन प्रपत्रों, प्रपत्र-ए तथा प्रपत्र-बी की फ़ैक्स, फोटो स्टेट, साइक्लोस्टाइल प्रति भी स्वीकार होगी यदि वह राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से/बाल पेन से हस्ताक्षरित होगी।
- (ङ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व हस्ताक्षर का नमूना फार्म-बी में भरकर नामांकन देने की अन्तिम तिथि को सायं 03.00 बजे तक वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया हो।
- (च) प्रपत्र-बी में की गई प्रथम प्राधिकृतता के पश्चात् राष्ट्रीय अथवा राज्य राजनैतिक दल की ऐसी सूचना जिसमें प्रथम प्राधिकृतता को निरस्त अथवा परिवर्तित कर दिया गया हो, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व राज्य चुनाव आयोग को भेज देनी चाहिए जो कि आयोग/संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन भरने की अन्तिम तिथि को सायं 03.00 बजे तक प्राप्त हो जाए। प्रपत्र-बी में ऐसी बाद में की गई प्राधिकृतता, प्राधिकृत कार्यालय-अधिकारी जिसका नाम प्रपत्र-ए में पहले भेजा जा चुका है, द्वारा ही हस्ताक्षर की गई हो तथा इसमें कोई संशय न हो और यह पूर्णतया स्पष्ट हो, कि या तो वह पूर्व प्राधिकृतता को निरस्त करता है या परिवर्तित करता है जैसा भी मामला हो।

(छ) यदि उसी राजनैतिक दल से एक ही वार्ड में दो अथवा दो से अधिक प्रत्याशियों के लिए प्रपत्र-‘बी’ में सूचना रिटर्निंग अधिकारी व आयोग को प्राप्त होती है तथा वह राजनैतिक दल प्रपत्र-‘बी’ में यह बताने/दर्शाने में असफल हो जाता है कि इन सूचनाओं में से पूर्व भेजी गई सूचनाओं को निरस्त अथवा अतिक्रमण कर दिया है, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल उस प्रत्याशी के प्रपत्र-‘बी’ को स्वीकार करेगा जिसका नामांकन पत्र उसे पहले प्राप्त हुआ हो तथा शेष प्रत्याशियों, जिनके लिए भी प्रपत्र-‘बी’ उसे प्राप्त हो गए हों, को ऐसे राजनैतिक दल के प्रस्ताविक प्रत्याशी नहीं माना जाएगा तथा उनके नामांकन पत्र भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(ज) फार्म ‘ए’ व ‘बी’, जैसा उपयुक्त हो इस आदेश की अनुसूची- II में निर्धारित है।

6. आयोग की अनुदेश व निर्देश जारी करने की शक्तियां :-

आयोग अनुदेश व निर्देश जारी कर सकता है :-

(क) इस आदेश के किसी भी प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु।

(ख) इस प्रकार के प्रावधानों को लागू करने के सम्बंध में उत्पन्न होने वाली किसी समस्या व संशय के समाधान हेतु।

(ग) चुनाव चिन्हों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु तथा राजनैतिक दलों की मान्यता से सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में जिसके लिए इस आदेश में कोई प्रावधान नहीं है अथवा अपर्याप्त प्रावधान है तथा आयोग के मतानुसार सुचारु रूप से चुनाव कराए जाने के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त

अनुसूची-I

सारणी- I
राष्ट्रीय दल

क्रम सं.	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.
1.	आम आदमी पार्टी	झाड़ू	206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली-110002.
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से कोई एक प्रतीक चुनना पड़ेगा)	बंगला नं० 29, लोधी स्टेट, नई दिल्ली-110003.
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	6-ए, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002.
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हाँसिया और सितारा	ए. के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट), नई दिल्ली-110001.
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011.
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	प्लॉट नं० 90ए लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग-793001

सारणी-II
राज्यीय दल

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन0टी0आर0, भवन, रोड नं0-2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033, (तेलंगाणा)
		2. युवाजना श्रमिका रायथू काँग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं० 8-2-269/एस/98, सागर सोसाईटी रोड नं० 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, तेलंगाणा
		3. जनसेना पार्टी*	काँच का गिलास*	डी. नं.-11-1903, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कॉलोनी, मंगलगिरि, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522503.
		*भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/एमआईएससी/2025/पीपीएस-II/772, दिनांक 13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।		
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल	मक्का	पीपुल्स पार्टी ऑफ आरुणाचल (पीपीए) का कार्यालय, मोवब-11, एजी ऑफिस के पास, काहफा बेंगिया का निवास, पीओ/पीएस, ईटानगर-791111
		2. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5-सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003
		3. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001.
3.	असम	1. ऑल इण्डिया यूनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	ताला और चाबी	नं० 3, फ्रेंड्स पथ, हातिगांव, गुवाहाटी-781038 (असम)
		2. असम गण परिषद्	हाथी	गोपीनाथ बोरदोलाई रोड, गुवाहाटी-781001 (असम)
		3. बोडोलैण्ड पीपल्स फ्रंट	नांगोल	मुख्य कार्यालय कोकराझार, बी.टी.सी., पो. ऑ. कोकराझार, असम पिन-783370
		4. युनाइटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल	ट्रेक्टर चलाता किसान	जे.डी. रोड, वार्ड नं०-4, पो0आ0 कोकराझार जिला कोकराझार, बीटीएडी, असम-783370.
4.	बिहार	1. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001.
		2. लोक जन शक्ति पार्टी* *2021 के विवाद प्रकरण संख्या 1 में आयोग के दिनांक 02.10.2021 के अंतरिम आदेश के तहत नाम और चिन्ह फ्रीज किया गया है	बंगला*	12, जनपथ नई दिल्ली-110001.
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001.
		4. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	छत का पंखा	मौजा-ढक्कनपुरा, मोहल्ला-मोहनपुर पुनार्चक, नियर हडताली मोड,

				बोरिंग कनाल रोड, पटना बिहार-800001
		5 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनसिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झण्डा	यू-90, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
		6 लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास)*	हेलीकॉप्टर*	23, नॉर्थ एवेन्यू, डुप्लेक्स फ्लैट, नई दिल्ली-110001
		*श्री चिराग पासवान की अध्यक्षता वाले समूह को भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/Review/2019/PPS-II/Vol. IV दिनांक 10.04.2023 के तहत विवाद केस संख्या 1/2021 के परिणाम अधीन बिहार राज्य में एक राज्य पार्टी के रूप में अंतरिम मान्यता प्रदान की गई है। इसे भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/Review/2019/PPS-II/Vol. IV दिनांक 15.05.2023 के द्वारा हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है।		
5.	छत्तीसगढ़	जनता काँग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	वर्ग में हल जोतता किसान	श्री बालाजी काम्प्लेक्स, गांधी मैदान के पास, खमताराई, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001.
6.	गोवा	1. महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर	फ्लैट नं०.102, ब्लॉक-1, डयुक्ल हेवेन, एस0टी0-इनेज, पणजी-403001.
		2. गोवा फॉरवार्ड पार्टी	नारियल	शीश महल, दूसरी मंजिल, कार्यालय 4, कोंबा, मरगांव, गोवा-403601
		3. रिवोल्यूशनरी गोवन्स पार्टी	फुटबॉल (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्यों में पैरा 10 के तहत रियायत के लिए उपलब्ध नहीं है)	घर क्र. 2385/ए, नागजेरवाडा, बीचोलिम, उत्तरी गोवा, गोवा-403504
7.	हरियाणा	1. इंडियन नेशनल लोक दल	चश्मा	नं. 80, सैक्टर-9, चंडीगढ़-160009.
		2. जन नायक जनता पार्टी	चाबी	चौटाला हाऊस-803, राम कालोनी, बरनाला रोड, सिरसा, हरियाणा-125055.
8.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल काँग्रेस	हल	1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजीडेंसी रोड, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)-180001 2) नवाई सुब्ह कॉम्प्लेक्स, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)-190001
		2. जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी*	साइकिल*	17, वी.पी. हाऊस रफी मार्ग नई दिल्ली-110001.
		*2024 के विवाद प्रकरण संख्या 1 में आयोग के दिनांक 20.03.2024 के अंतरिम आदेश के तहत नाम और चिन्ह प्रीज किया गया है		
9.	झारखण्ड	3. जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	स्याही की दवात और कलम	2-इस्पोरियन लेन, रेसीडेन्सी रोड, श्रीनगर-190001
		1. आजसु पार्टी	केला	एच-59, हरमु हाउसिंग कॉलोनी, पी. एस.-अरगोड़ा, पो0-हरमु, राँची, झारखण्ड-834002.
		2. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान	बैरियातू रोड, राँची-834008 (झारखण्ड)।
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी.हाऊस, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001.

10.	कर्नाटक	1.जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.
11.	केरल	1.जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003.
		2. केरल काँग्रेस (एम)	दो पत्तियाँ	स्टेट कमेटी ऑफिस, फायर स्टेशन के पास, कोट्टायम, (केरल)-686001
		3. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी	कायदे मिल्लत मंजिल, 36 मारियाकयार लेब्बाई स्ट्रीट, चेन्नई-600001, तमिलनाडु
		4. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा एवं बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद सारनी), कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल।
		5. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया	अजय भवन कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110092.
		6. केरल काँग्रेस*	ऑटो रिकशा*	67, कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो० ऑ० एरनाकुलम, केरल।
		*भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/एमआईएससी/2025/पीपीएस-II/772, दिनांक 13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।		
12.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	रेलवे इंजन	कृष्ण कुंज, एम., बी.राउत रोड, शिवाजी पार्क, मुंबई-400028, महाराष्ट्र।
		2. शिवसेना	तीर-कमान	अन्नद आश्रम, श्री भवानी चौक, तेंभी नाका, ठाणे पश्चिम, महाराष्ट्र-400601
		3. शिवसेना (उद्धव वालासाहेब ठाकरे)# # भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लंबित अंतिम आदेश।	मशाल#	शिवसेना भवन, गडिकरी चौक, दादर, मुंबई-400028 (महाराष्ट्र)।
		4. नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	79, नॉर्थ एवन्यू, नई दिल्ली-110001.
		5. नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)# #भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लंबित अंतिम आदेश।	तुरहा बजाता आदमी#	81, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
13.	मणिपुर	1. नागा पीपुल्स फ्रंट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं.565, कोहिमा-797001, नागालैण्ड।
		2. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001.
		3. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया	अजय भवन कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
		4. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-आठवले*	गन्ना किसान*	नं. 3/4, इंसा हटमेंट, आजाद मैदान, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400001
		*भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/एमआईएससी/2025/पीपीएस-II/772, दिनांक 13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।		
14.	मेघालय	1. यूनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी	ड्रम	मावलाइ नोनगलाम, शिलांग-793002 (मेघालय)
		2. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	शेर	केन्चस ट्रेश, लाबान, शिलांग-739004 मेघालय।

		3. पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट	मोमबत्तियाँ	एच0 नं0 7/63, लचुमिऐरे, शिलांग-793001 (मेघालय)
		4. वौइस् ऑफ द पीपुल पार्टी	सूप	लैटकोर, किटन-यू-सोम, शिलांग, पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय-7930021
		5. ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल।
15.	मिजोरम	1. मिजो नेशनल फ्रंट	सितारा	जनरल हेडक्वार्टर्स-जरकावत आइजॉल (मिजोरम)-796001
		2. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी	सूर्य (किरण रहित)	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजाल-796001 (मिजोरम)।
		3. जोरम पीपुल्स मूवमेन्ट	टोप (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में पैरा 10 के तहत रियायत के लिए उपलब्ध नहीं है)	ट्रेजरी स्कायर, आइजाल-796001 (मिजोरम)।
16.	नागालैंड	1. नागा पीपुल्स फ्रंट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं. 565, कोहिमा-797001 (नागालैंड)
		2. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी	ग्लोब	मकान नं 155(1), वार्ड नं.4, चुमुकेदीमा, दीमापुर, नागालैंड-797103
		3. लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास)	हेलीकॉप्टर	23, नॉर्थ एवेन्यू, डुप्लेक्स फ्लैट, नई दिल्ली-110001
		4. नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	79, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
		5. नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) # #भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लंबित अंतिम आदेश	तुरहा बजाता आदमी#	81, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
17.	ओडिशा	बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोड्रम गेट, भुवनेश्वर-751009 (उड़ीसा)।
18.	पुदुचेरी	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	दो पत्तियाँ	275, अब्बाई 'शणमुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई-600014, (तमिलनाडु)
		2. ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेस	जग	65/6, ईस्ट कोस्ट रोड, बच्चावती पेट्रोल पंप के बगल में, पक्कामुदयानपेट पुदुचेरी-605008
		3. द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018, तमिलनाडु
19.	पंजाब	शिरोमणि अकाली दल	तराजू	बिल्डिंग नं. 6, सैक्टर 28 बी, मध्य मार्ग चंडीगढ़-160028.
20	राजस्थान	1. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल	प्लॉट नं. 26-27, आउट ऑफ खसरा 170/151, तेजा कॉलोनी निकट शीतला माता मन्दिर, मानासर, जिला नागौर, राजस्थान-341001.
		2. भारत आदिवासी पार्टी*	हॉकी और बॉल*	प्लॉट नं. 27ए, गामडी हाउस (कॉमर्स) कॉम्प्लेक्स, शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर, राजस्थान-314029.
		*भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/एमआईएससी/2025/पीपीएस-II/772, दिनांक 13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।		
21	सिक्किम	1.सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	छाता	अपर देवराली, गंगटोक पूर्व सिक्किम-737101।

		2.सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा	टेबल लैप	कॉनवाय ग्राउंड, पो0ऑ0-टैडोंग, मंगलौर पूर्व सिक्किम, सिक्किम-737102.
		3. सिटीजन एक्सन पार्टी-सिक्किम*	चुनाव चिन्ह अभी रिजर्व नहीं किया गया।	पार्टी प्रमुख क्यूटीआर, लोअर लुम्से, एडमपूल से रेस्टिथाग रोड, गंगटोक, सिक्किम-737128.
		*भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/एमआईएससी/2025/पीपीएस-II/772, दिनांक 13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि इसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।		
22.	तमिलनाडु	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	दो पतियाँ	275, अब्बाई 'षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014. (तमिलनाडु)।
		2. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)।
		3. देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम	नगाड़ा	125/7, जवाहरलाल नेहरू सलाई (100 फीट रोड) कोयमबेडु, चेन्नई-600107, तमिलनाडु।
		4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया	अजय भवन कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
		5. नाम तमिलार काँची*	हल लेकर जाता हुआ किसान*	द्वार नं. 7, प्लॉट नं. 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोरुर, चैन्नै-600116, तमिलनाडु।
		6. विदुथलाई चिरुथईगल काची*	हान्डी*	नं. - 16, चिन्नईया गली, टी-नगर, चेन्नई-17, तमिलनाडु।
		*भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/एमआईएससी/2025/पीपीएस-II/772, दिनांक 13.05.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त दोनों पार्टियों को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है तथा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी।		
23.	तेलंगाना	1. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	पतंग	दारुस्सलाम बोर्ड, हैदराबाद (तेलंगाना)-500001
		2. भारत राष्ट्र समिति	कार	मकान नं-8-2-220/110/1/3, रोड नं 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना-500034
		3. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन.टी. आर. भवन, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद- 500033 (तेलंगाना)
		4. युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं-8-2-269/एस/98, सागार सोसाइटी, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, तेलंगाना.
24	त्रिपुरा	1.इंडिजिनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा	दाव	ओल्ड काली बाड़ी रोड, कृष्णानगर, अगरतला-799001, त्रिपुरा।
		2. टिपरा मोथा पार्टी	अनानास	खतियान नंबर 1201, मौजा-जिरानिया, रेवेन्यू सर्कल-जिरानिया, आर एस प्लॉट नंबर 1493/7543, सी एस प्लॉट नंबर 471,468/पी, खुमुलवंग, त्रिपुरा-799035
		3. ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल।

25	उत्तर प्रदेश	1.समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली-110001।
		2.अपना दल (सोनेलाल)	कप और प्लेट	गांव-अतरामपुर नवाबगंज,पोस्ट ऑफिस- अतरामपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-229412
26.	पश्चिम बंगाल	1.ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक	शेर	नेताजी भवन, टी-2235/2, अशोक नगर, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.
		2. ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल।

सारणी—III

(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1.	एअरकंडीस्नर
2.	अलमारी
3.	सेब (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
4.	बेबी वॉकर
5.	गुब्बारा
6.	चूडियाँ
7.	फलों से युक्त टोकरी (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
8.	बल्ला
9.	बल्लेबाज
10.	बैटरी टार्च
11.	मोतियों का हार
12.	बेल्ट
13.	बेन्च
14.	साइकिल पम्प
15.	दूरबीन
16.	बिस्कुट
17.	ब्लैक बोर्ड
18.	आदमी व पाल युक्त नौका
19.	बक्सा
20.	डबल रोटी
21.	ब्रेड टोस्टर
22.	ईटें
23.	ब्रीफकेस
24.	ब्रुश
25.	बाल्टी
26.	केक
27.	कैल्कुलेटर
28.	कैमरा
29.	कैन
30.	शिमला मिर्च
31.	कार्पेट
32.	कैरम बोर्ड
33.	फूलगोभी
34.	सीसीटीवी कैमरा
35.	जंजीर
36.	चक्की
37.	चपाती रोलर
38.	चप्पलें
39.	शतरंज बोर्ड
40.	चिमनी

41.	चिमटी
42.	कोट
43.	नारियल फार्म
44.	कलर ट्रे और बुश
45.	कम्प्यूटर
46.	कम्प्यूटर माउस
47.	चारपाई (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
48.	क्रेन
49.	घन
50.	कटिंग प्लायर
51.	हीरा
52.	डीजल पम्प
53.	डिश एंटीना
54.	डोली
55.	द्वार घंटी
56.	दरवाजे का हैंडल (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
57.	ड्रिल मशीन
58.	डम्बल्स
59.	कूड़ादान
60.	कान की बालियाँ (तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
61.	बिजली का खंभा
62.	लिफाफा
63.	एक्सटेंशन बोर्ड
64.	बाँसुरी
65.	फुटबॉल खिलाड़ी
66.	फव्वारा
67.	फ्राक
68.	फ्राइंग पैन
69.	कीप
70.	गैस सिलेण्डर
71.	गैस का चूल्हा
72.	उपहार
73.	अदरक
74.	ग्रामोफोन
75.	अंगूर
76.	हरी मिर्च
77.	हाथ गाड़ी
78.	हारमोनियम
79.	हेडफोन
80.	हेलमेट
81.	रेत घड़ी
82.	आइस क्रीम (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)

83.	पानी गरम करने की रॉड
84.	प्रेस (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
85.	कटहल
86.	केतली (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
87.	किचन सिंक
88.	भिंडी
89.	लेडी पर्स (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
90.	लैपटॉप
91.	कुन्डी
92.	लैटर बाक्स
93.	लाइटर
94.	लूडो
95.	लंच बॉक्स
96.	माचिस की डिब्बी
97.	माईक
98.	मिक्सी
99.	नागरिक
100.	नेल कटर
101.	गले की टाई
102.	नूडल्स कटोरा
103.	कड़ाही
104.	पैंट
105.	मूँगफली
106.	नाशपाती (तमिलनाडु व पुडुचेरी को छोड़कर)
107.	मटर
108.	पेन ड्राइव
109.	कलम की निब सात किरणों के साथ
110.	पैनस्टैण्ड
111.	पेन्सिल डिब्बा
112.	पेन्सिल शार्पनर
113.	पेन्डुलम
114.	मूसल और खरल
115.	पेट्रोल पम्प
116.	फोन चार्जर
117.	तकिया
118.	करनी
119.	खाने से भरी थाली
120.	प्लेट स्टैण्ड
121.	प्रेशर कुकर
122.	पंचिंग मशीन
123.	रेजर

124.	रेफ्रिजरेटर
125.	अंगुठी
126.	रोड रोलर
127.	रोबोट
128.	रूम कूलर
129.	रूम हीटर
130.	रबड़ की मुहर
131.	सेफ्टी पिन
132.	आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
133.	स्कूल का बस्ता
134.	कैंची
135.	सिलाई की मशीन
136.	पानी का जहाज
137.	जूता
138.	शटर
139.	सितार
140.	कूदने की रस्सी
141.	स्लैट
142.	साबुनदानी
143.	जुराबें
144.	सोफा
145.	स्पैनर (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
146.	स्टैपलर
147.	स्टैथोस्कोप
148.	स्टूल
149.	स्टम्प्स
150.	झूला
151.	स्विच बोर्ड
152.	सिरिन्ज
153.	टी.वी. रिमोट
154.	मेज
155.	चाय छलनी
156.	टेलीफोन
157.	टेलीविजन
158.	टेनिस बल्ला व गेंद
159.	टैन्ट
160.	भाला फेंक
161.	टीलर
162.	टॉफियाँ
163.	चिमटा (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
164.	दाँत ब्रुश
165.	टूथपेस्ट
166.	ट्रे
167.	त्रिभुज
168.	ट्रक

	(आंध्र प्रदेश एवम् तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
169.	तुरही
170.	ट्यूब लाईट
171.	टाईपमशीन
172.	टायर
173.	वैक्यूम क्लीनर
174.	वायलिन
175.	छड़ी
176.	दीवार खूंटी
177.	बटुआ
178.	अखरोट
179.	तरबूज़
180.	पानी का टैंक
181.	कुआँ
182.	हाथ रेहड़ी
183.	सीटी
184.	खिड़की
185.	ऊन व सिलाई

*भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 56/एमआईएससी/2025/पीपीएस-II/772 दिनांक 13.05.2025 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा – ऑटो रिक्शा, गन्ना किसान, काँच का गिलास, हॉकी और बॉल व हान्डी चुनाव चिन्हों को मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची में से नई पंजीकृत राज्य राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिए गए हैं।

अनुसूची-II

प्रपत्र-‘ए’

राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के नामों की सूचना हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना

[चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा आदेश 2025, चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आवंटन) अनुच्छेद 5 देखें।]

सेवा में,

1. राज्य चुनाव आयुक्त,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
2. रिटर्निंग अधिकारी, वार्ड का नं० व नाम..... दिल्ली नगर निगम।

विषय : दिल्ली नगर निगम के चुनाव-चुनाव चिन्हों का आवंटन, प्रत्याशियों के नामों की सूचना देने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति।

महोदय,

दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 15 के अनुसार मैं एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उपरोक्त चुनाव हेतु चुनाव में खड़े किए गए प्रस्तावित प्रत्याशियों की सूचना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों का राष्ट्रीय/राज्यों के राजनैतिक दल द्वारा अधिकृत किया गया है कि वे उस दल द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशियों के नाम उपरोक्त चुनावों के लिए भेज सकें।

सूचना देने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम	पार्टी के कार्यालय का नाम तथा अधिकृत व्यक्ति का पद नाम	निगम वार्ड का नाम व सं. जिसके लिए अधिकृत किया गया

2. अधिकृत किए गए उपरोक्त व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षर के नमूने, नीचे दिए गए हैं :-

1. श्री..... के हस्ताक्षर के नमूने।
(i)
(ii)
(iii)
2. श्री..... के हस्ताक्षर के नमूने।
(i).....
(ii)
(iii)
3. श्री..... के हस्ताक्षर के नमूने।
(i)
(ii)
(iii)

स्थान :

भवदीय

दिनांक :

अध्यक्ष/सचिव
दल का नाम (दल की मोहर)

प्रपत्र- 'बी'

राजनैतिक दलों द्वारा नामित प्रत्याशियों के नामों के संबंध में नोटिस
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव, 2025 (चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह
(आरक्षण व आबंटन) अनुच्छेद क्रमांक 5 को देखें।)

सेवा में

- राज्य चुनाव आयुक्त
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006.
- रिटर्निंग अधिकारी.....वार्ड का नं० व नाम..... दिल्ली नगर निगम

विषय : दिल्ली नगर निगम के चुनाव, 2025-प्रत्याशियों को नामित करना ।

महोदय,

दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियम, 2012 के नियम 15 के अनुरूपान में, मैं.....एतद् द्वारा.....दल की ओर से निम्न व्यक्तियों को जो कालम 2 तथा 4 में उल्लिखित हैं, दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनाव में इस दल के प्रत्याशी के रूप में नामित करने की सूचना देता हूँ। जिस वार्ड से इन प्रत्याशियों को नामित किया जा रहा है, उसकी सूचना इन प्रत्याशियों के नाम के सामने दी गई है :-

वह व्यक्ति जिनकी विशिष्टियां नीचे कालम (5) से (7) में दी गई हैं, इस दल का प्रतिस्थापित प्रत्याशी है जो अनुमोदित प्रत्याशी के नामांकनों की समीक्षा में नामांकन रद्द होने पर अथवा उसके चुनाव लड़ने से नाम वापिस लेने पर, चुनाव में प्रवेश करेगा यदि प्रतिस्थापित प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अभी भी है।

दिल्ली नगर निगम के वार्ड का नाम व संख्या	नामांकित प्रत्याशी का नाम	नामांकित प्रत्याशी के पिता/पति का नाम	नामांकित प्रत्याशी का डाक का पता एवं दूरभाष नं०	प्रतिस्थापी, प्रत्याशी का नाम (नामांकित प्रत्याशी के नामांकन की समीक्षा जांच के पश्चात् अस्वीकृत होने की स्थिति में)	प्रतिस्थापी प्रत्याशी के पिता/पति का नाम	प्रतिस्थापी प्रत्याशी के घर का पता एवं दूरभाष नं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान :

भवदीय

दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति
दल का नाम (दल की मोहर)

(यह प्रपत्र स्याही/बालपैन से हस्ताक्षरित किया जाए तथा छाप वाले हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे।)

यह प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में नामांकन भरने की अंतिम तिथि को अपराह्न 03:00 बजे तक निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए इस प्रपत्र की फोटोस्टेट प्रति भी स्वीकार्य होगी यदि वह राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही/बॉल पैन से हस्ताक्षरित होगी।

यदि राष्ट्रीय/राज्य के राजनैतिक दल के मुख्य प्रत्याशी का नामांकन पत्र स्वीकार हो जाएगा तो प्रतिस्थापित प्रत्याशी जिसका उल्लेख प्रपत्र के कॉलम-5, 6 व 7 में दिया गया है, के नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(दल की मोहर)

STATE ELECTION COMMISSION**NOTIFICATION**

Delhi, the 8th October, 2025

Municipal Corporation of Delhi Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2025

No. F. 4(3)/Bye-election/Legal/SEC/2025/20898.—WHEREAS the superintendence, direction and control of elections to the Municipal Corporation of Delhi are vested in the State Election Commissioner of NCT of Delhi vide Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended till date.

AND WHEREAS it is necessary to provide for the choice and allotment of symbols to the contesting candidates sponsored by political parties (National and State) and to the independent candidates for election to the Municipal Corporation of Delhi.

Now, therefore in exercise of the powers conferred under Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957, (hereinafter referred to as the 'ACT') read with Rule 15 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter referred to as 'Rules') and all other provisions enabling it in this behalf and in supersession of all earlier Notifications on the subject, the State Election Commission of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following order:-

1. Short Title, Application and Commencement:

(a) This order will be called the "Municipal Corporation of Delhi Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2025". It extends to the whole areas of the Municipal Corporation of Delhi and applies in relation to elections to the wards of the said Municipal Corporation of Delhi to be held hereafter.

(b) It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of NCT of Delhi.

2. Definitions, Interpretation:

- (a) In this order, unless the context otherwise requires, the words 'the Commission' means the State Election Commission of the National Capital Territory of Delhi.
- (b) "The Municipal Corporation" means the Municipal Corporation of Delhi.
- (c) The 'ward' means a Ward of the Municipal Corporation of Delhi.
- (d) "'National Party' means a party registered and recognized by the Election Commission of India as such under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 read with provision of "The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.", to which a reserved symbol has been allotted for election to Lok Sabha/ Assembly Constituency in the NCT of Delhi by the Election Commission of India.
- (e) Delhi State Party means a State Party registered and recognized by the Election Commission of India under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 read with provisions of "The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968" to which a reserved symbol is allotted for election to Lok Sabha/Assembly Constituency in the NCT of Delhi.
- (f) 'Other State Party' means a party registered and recognized by the Election Commission of India in a State or States by the Election Commission of India as such under section 29A

of the Representation of the People Act, 1951 read with provision of "The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968." to which a reserved symbol is allotted for election to Lok Sabha/Assembly Constituency in that State or States.

- (g) 'Act' means The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended till date.
- (h) 'Rules' means Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012;

3. Recognition of National and State parties:

- (a) The National Parties recognized as such for the time being by the Election Commission of India in respect of election to Lok Sabha and State Legislative Assemblies in India, and as per Symbol Orders of Election Commission of India vide Notification No. **56/25/2024/PPS-II(NP)** dated the 26.03.2024 as amended from time to time thereafter by the Election Commission of India, are hereby recognized as such by this Commission for purposes of elections to the above said Municipal Corporation of Delhi to be held hereafter under the provisions of Rule 15 of the aforesaid Rules.
- (b) The Commission hereby also adopts for the National Parties and State Parties those very symbols which are reserved for these parties by the Election Commission of India and not any other symbol.
- (c) The facsimiles of the symbols reserved for the National Parties and State Parties (in size and shape) as prescribed for elections to Lok Sabha and State Assemblies by the Election Commission of India as well as those prescribed for other candidates (independents) in the list of Free Election Symbols are adopted and prescribed as such by this Commission for purposes of the elections to the Municipal Corporation of Delhi, to be held hereafter. The names of such National Parties and State Parties and symbols prescribed by Election Commission of India vide Notification No. **56/25/2024/PPS-II (SP)**- dated 23/03/2024 as amended from time to time thereafter by the Election Commission of India for them are also mentioned in Table-I & Table II of Schedule-I annexed.
- (d) A list of 'free symbols' to be chosen by other candidates (independents) etc. as prescribed by Election commission of India as per Notification No. **56/25/2024/PPS-II (FS)**.- dated 23/03/2024 is contained in Table-III in the Schedule-I and these are also adopted by this Commission for purpose of aforesaid election under Rule 15 of the said "Rules".

4. Choice of Symbol by candidates of National and State Parties and allotment thereof:

- (a) For every contested election of the Municipal Corporation of Delhi, a symbol shall be allotted to each contesting candidate in accordance with the provisions of the said Rules, this Order and the instructions issued by the Commission from time to time in this regard.
- (b) A candidate set up by a National Party at an election to a ward of the Municipal Corporation of Delhi shall choose, and shall be allotted, ONLY the symbol reserved for that party by Election Commission of India and no other symbol.
- (c) If a candidate set up by a State Party contests election to a ward of a Municipal Corporation of Delhi which party is not recognized in the National Capital Territory of Delhi by Election Commission of India, intends to choose or chooses a symbol reserved

for it in the State or States in which it is recognized as 'State Party' (see schedule-I table-II) then such candidate shall be allotted that symbol to the exclusion of any other candidate and no other symbol on fulfillment of each of the following conditions, namely:

- (i) that an application is made to the Commission by the State Party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it at an election to the Municipal Corporation of Delhi not later than the third day after publication in the official gazette of the Notification calling the election to the Municipal Corporation of Delhi;
 - (ii) that the said candidate has made a declaration in his nomination paper that he has been set up by that party at the election to a ward of the Municipal Corporation of Delhi and that the party has also fulfilled the requirements of clauses (b),(c),(d), & (e) of paragraph 5 of this Order;
 - (iii) that, in the opinion of the Commission, there is no reasonable ground for refusing the application for such allotment.
 - (iv) In case more than one State Parties having the same 'reserve' symbol as per Election Commission of India's order, choose the 'reserve' symbol it shall be allotted to a candidate of a State Party by draw of lot and in no other manner. All or any other State Party whose candidate does not get the 'reserve' symbol as explained above shall be allotted a 'free symbol' of his choice by the Returning Officer in preference to the independent candidates.
 - (v) Candidates sponsored by recognized National Parties will and **Delhi State Party** have to file nomination paper with one proposer and their choice of symbol to be indicated in the nomination paper(s) shall be restricted to the Symbol reserved for it by the Election Commission of India.
 - (vi) Candidates sponsored by State Parties (**other than Delhi State Party**) will have to file nomination papers with ten proposers and their choice of symbol to be indicated in the nomination paper(s) shall be restricted to the symbol reserved for it in the State or States in which it is so recognized by the Election Commission of India.
- (d) The candidates belonging to unrecognized parties registered by Election Commission of India shall be treated as independent candidates for all purposes including number of proposers required i.e. 10 proposers of the ward to which the nomination is filed and for allotment of symbols. They shall not be given any preference over other independent candidates in allotment of free symbols or allotment of only one free symbol to all its candidates in any ward of the Municipal Corporation of Delhi.
- (e) (i) Any candidate at an election to a ward of the Municipal Corporation of Delhi other than a candidate set up by a National Party or State party i.e. Independent Candidates etc. shall choose and shall be allotted in accordance with the provisions hereafter set out in this paragraph, one of the symbols specified as 'free symbols' as per this Order.

- (ii) A different symbol to each contesting candidate will be allotted in conformity as far as practicable, with his choice as per three preferences mentioned in his/her nomination paper.
- (iii) If more contesting candidates than one have indicated their preference for same symbol, the Returning Officer shall decide by lot to which of such candidates the symbol will be allotted.
- (iv). Other contesting candidates not covered in (ii) or (iii) above, can be allotted a symbol out of list of left out free symbols as per their choice as far as practicable.

If a candidate still insists to have a symbol out of his three preferences only, as given by him in his first nomination paper, allotted and he refuses to give his choice for any other symbol left out in that ward, the Returning Officer shall allot him a 'free symbol' out of the remaining symbols and his decision in this context shall be final unless action of the Returning Officer is contrary to the foregoing direction.

5. Authorization by National and State Parties for allotment of Symbols:

- (a) For the purpose of this Order, a candidate shall be deemed to have been set up by a recognized political party if and only if the candidate has made a declaration to that effect in the nomination paper filed by him/her.
- (b) The candidate or substitute candidate has chosen only the 'reserved' symbol of his party in his/her nomination paper filed and no 'other symbol'.
- (c) A notice in Form 'B' of setting up the candidate has been delivered not later than 3.00 P.M. on the last day of filing nomination, in writing, to the Returning Officer of the ward to which the candidate is contesting and to the State Election Commission of NCT Delhi by the party concerned.
- (d) The above said notice is signed by a person authorized in Form 'A' by the President or the Secretary of the party, in ink/ball pen. Facsimile signatures shall not be accepted. Similarly fax, Photostat, cyclostyled copy of such forms i.e. form A & B are also acceptable if the same is signed by the authorized person of the National/State Political Party in ink/ball pen.
- (e) The name and specimen signature of such authorized person in Form A are communicated to the Returning Officer concerned and the State Election Commission of the NCT Delhi not later than 3.00 P.M. on the last date fixed for filing nominations.
- (f) Any subsequent authorization by a National or State Party cancelling or substituting the earlier authorization in Form 'B' shall be sent to the Returning Officer concerned and the State Election Commission of NCT of Delhi also so as to be received by the Commission and the concerned Returning Officer not later than 3.00 P.M. on the last date for making nomination. Such subsequent authorization in Form 'B' is to be signed by the authorized

Office bearer whose name has been duly intimated in Form 'A' and is to be unambiguous and clearly showing that it either cancels or substitutes the earlier authorization, as the case may be.

- (g) If more than one notice in Form 'B' are received from a National or State Party by the Returning Officer/Commission in respect of two or more candidates in a ward from the same political party and that political party fails to indicate in such notices in Form 'B' that one of these notices is cancelled or supersedes all other previous notices, the Returning Officer shall accept the notice in Form 'B' in respect of that candidate whose Nomination Paper was first delivered to him, and the remaining candidates in respect of whom also notices in Form 'B' have been received by him, shall not be treated as candidates set up by such political party and their nomination(s) shall also be rejected
- (h) Form 'A' and 'B', as applicable, are prescribed as in Schedule II with this order.

6. Power of Commission to issue instructions and directions:

The Commission may issue instructions and directions –

- (a) for clarification of any of the provisions of this order.
- (b) for the removal of any difficulty or doubt which may arise in relation to the implementation of any such provisions, and
- (c) in relation to any matter with respect to the reservation and allotment of symbols and recognition of political parties, for which this order makes no provision or makes insufficient provision, and provision is, in the opinion of the Commission, necessary for the smooth and orderly conduct of elections.

Dr. VIJAY DEV, State Election Commissioner

SCHEDULE - I

TABLE – I
NATIONAL PARTIES

S. N.	Name of the Party	Symbol reserved	Address
1.	2.	3.	4.
1.	Aam Aadmi Party	Broom	206, Rouse Avenue, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002
2.	Bahujan Samaj Party	Elephant <i>[In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]</i>	Bungalow No. 29, Lodhi Estate, New Delhi – 110003
3.	Bharatiya Janata Party	Lotus	6-A, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110002
4.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001
5.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi – 110011
6.	National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachauiniere District, East Khasi Hills District, Shillong-793001

TABLE – II
STATE PARTIES

S. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Andhra Pradesh	1. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033.
		2. Yuva Jana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034
		3. Janasena Party *	Glass Tumbler *	D. No. 11-1903, Lakshmi Narasimha Swamy Colony, Mangalagiri, Guntur District, Andhra Pradesh-522503
		*(Recognised as a State Party vide ECI letter No. 56/Misc./2025/PPS-II/772 dated 13/05/2025 & notification regarding the same will be issued by ECI in due course).		
2.	Arunachal Pradesh	1. People's Party of Arunachal	Maize	Office of the People's Party of Arunachal (PPA), Mowb-II, near AG Office, Residence of Kahfa Bengia, PO/PS: Itanagar-791111.
		2. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
		3. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001
3.	Assam	1. All India United Democratic Front	Lock & Key	No.3 Friends Path, Hatigaon, Guwahati-781038 (Assam)
		2. Asom Gana Parishad	Elephant	Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam)
		3. Bodoland Peoples Front	Nangol	Head Office Kokrajhar, B.T.C., P.O.-Kokrajhar, Distt. Kokrajhar, Assam, Pin-783370

		4. United People's Party, Liberal	Tractor Chalata Kisan	J.D.Road, Ward No.4, P.O.- Kokrajhar, District – Kokrajhar, BTAD, Assam - 783370
4.	Bihar	1. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001
		2. Lok Jan Shakti Party * <i>*Name and Symbol is Frozen vide Election Commission of India Interim order dated 02/10/2021 in Dispute Case No. 1 of 2021</i>	Bungalow*	12, Janpath, New Delhi – 110 011
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001
		4. Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan	Mouza – Dhakkanpura, Mohalla – Mohanpur Punaichak (Near Hartali Morh), Boring Kainal Road, Patna, Bihar-800001
		5. Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation).	Flag with Three Stars	U-90, Shakarpur, Delhi- 110092
		6. Lok Janshakti Party (Ram Vilas)*	Helicopter*	23, North Avenue, Duplex Flat, New Delhi-110001.
		* Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (the group headed by Sh. Chirag Paswan) granted interim recognition as a State Party in the State of Bihar subject to the outcome of dispute case No. 1 of 2021 vide ECI Letter No. 56/Review/2019/PPS-II/Vol-IV dated 10/04/2023. It has been allotted "Helicopter" vide ECI Letter No. 56/Review/2019/PPS-II/Vol-IV dated 15/05/2023.		
5.	Chhattisgarh	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Farmer Ploughing (within Square)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001
6.	Goa	1. Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Flat No.102, Block-1, Dukle Heaven, ST-Inez, Panaji – 403001
		2. Goa Forward Party	Coconut	Sheesh Mahal, 2 nd Floor, Office 4, Comba, Margao, Goa - 403601
		3. Revolutionary Goans Party	Football Restricted for any future concession under Para 10 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order,	H. No. 2385/A, Nagzerwada, Bicholmin, North Goa, Goa- 403504.

			1968 in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	
7.	Haryana	1. Indian National Lok Dal	Spectacles	No. 80, Sector – 9, Chandigarh – 160009
		2. Jannayak Janta Party	Key	Chautala House-803, Ram Colony, Barnala Road, Sirsa, Haryana-125055.
8.	Jammu & Kashmir	1. Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (J&K)-180001 (ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (J&K)- 190001
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party* *Name and Symbol is Frozen vide Election Commission of India Interim order dated 20/03/2024 in Dispute Case No. 1 of 2024	Bicycle*	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001
		3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	Ink Pot & Pen	2-Emporium Lane, Residency Road, Srinagar-190001
9.	Jharkhand	1. AJSU Party	Banana	H-59, Harmu Housing Colony, PS-Argora, PO-Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
		2. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Jharkhand)
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001
10.	Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
11.	Kerala	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003

		2. Kerala Congress (M)	Two Leaves	State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala)-686001
		3. Indian Union Muslim League	Ladder	Quaid-e-Millath Manzil, 36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu
		4. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street, (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal)
		5. Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002.
		6. Kerala Congress *	Auto Rickshaw*	67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.
		*(Recognised as a State Party vide ECI letter No. 56/Misc./2025/PPS-II/772 dated 13/05/2025 & notification regarding the same will be issued by ECI in due course).		
12.	Maharashtra	Maharashtra Navnirman Sena	Railway Engine	Krishna Kunj, M.B. Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, Maharashtra.
		2. Shiv Sena	Bow and Arrow	Anand Ashram, Shree Bhavani Chowk, Tembhi Naka, Thane West, Maharashtra-400601.
		3. Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) # Pending Final Order of the Hon'ble Supreme Court of India.	Flaming Torch#	Shivsena Bahvan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra).
		4. Nationalist Congress Party	Clock	79-North Avenue, New Delhi-110001.
		5. Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar# # Pending Final Order of the Hon'ble Supreme Court of India.	Man Blowing Turha#	81, Lodhi Estate, New Delhi-110003.
13.	Manipur	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. Janta Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
		3. Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002.

		4. Republican Party of India - Athawale *	Ganna Kisan *	No. 3/4, Insa Hutment, Azad Maidan, Fort, Mumbai, Maharashtra-400001
		*(Recognised as a State Party vide ECI letter No. 56/Misc./2025/PPS-II/772 dated 13/05/2025 & notification regarding the same will be issued by ECI in due course).		
14.	Meghalaya	1. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong- 793008 (Meghalaya).
		2. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong 739004. (Meghalaya)
		3. People's Democratic Front	Candles	H.No.-7/63, Lachuamiere, Shilong, Meghalaya-793001
		4. Voice of the People Party	Winnower	Laitkor, Kynton-U-Mon, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya-793021.
		5. All India Trinamool Congress	Flower & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal).
15.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram)- 796001.
		2. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl- 796001 (Mizoram).
		3. Zoram People's Movement	Hat restricted for any future concession under Para 10 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968 in the states of Andhra Pradesh and Telangana.	Treassury Square, Aizawl, Mizoram-796001.
16.	Nagaland	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima- 797001, Nagaland.
		2. Nationalist Democratic Progressive Party	Globe	House No. 155(1), Ward No. 4, Chumukedima, Dimapur, Nagaland – 797103.
		3. Lok Janshakti Party (Ram Vilas)	Helicopter	23, North Avenue, Duplex Flat, New Delhi-110001.
		4. Nationalist Congress Party	Clock	79- North Avenue, New Delhi-110001.

		5. Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar# # Pending Final Order of the Hon'ble Supreme Court of India	Man Blowing Turha#	81, Lodhi Estate, New Delhi-110003.
17.	Odisha	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Odisha).
18.	Puducherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. All India N.R. Congress	Jug	65/6, East Coast Road, (Next to Badmavathi Petrol Bunk), Pakkamudaiyanpet, Puducherry-605008
		3. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
19.	Punjab	Shiromani Akali Dal	Scales	Building No.6, Sector-28 B, Madhya Marg, Chandigarh – 160028.
20.	Rajasthan	1. Rashtriya Loktantrik Party	Bottle	Plot No. 26-27, Out of Khasra No. 170/151, Teja Colony, Near Sheetla Mata Temple, Manasar, District- Nagaur, Rajasthan-341001.
		2. Bharat Adivasi Party *	Hockey and Ball *	Plot No. 27A, Gamadi House (Commerce) Complex, Shastri Colony, Dungarpur, Rajasthan-314029
		* (Recognised as a State Party vide ECI letter No. 56/Misc./2025/PPS-II/772 dated 13/05/2025 & notification regarding the same will be issued by ECI in due course).		
21.	Sikkim	1. Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gangtok, East Sikkim-737101.
		2. Sikkim Krantikari Morcha	Table Lamp	Convoy Ground, P.O.-Tadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102

		3. Citizen Action Party- Sikkim *	Symbol yet not reserved *	Party Head QTR, Lower Lumsay, Adampool to Reshtithag Road, Gangtok, Sikkim-737128
		* (Recognised as a State Party vide ECI letter No. 56/Misc./2025/PPS-II/772 dated 13/05/2025 & notification regarding the same will be issued by ECI in due course).		
22.	Tamil Nadu	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	Nagara	125/7, Jawaharlal Nehru Salai, (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600 107, Tamil Nadu.
		4. Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002.
		5. Naam Tamilar Katchi *	Farmer Carrying Plough*	Door No. 7, Plot No. 8, Hospital Road, Senthil Nagar, Cinna Porur, Chennai-600116, Tamil Nadu
		6. Viduthalai Chiruthaigal Katchi *	Pot*	No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar, Chennai-17, Tamil Nadu.
		*(Serial No. 5 & 6 are recognised as State Parties vide ECI letter No. 56/Misc./2025/PPS-II/772 dated 13/05/2025 & notification regarding the same will be issued by ECI in due course).		
23.	Telangana	1. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	Kite	Darussalam Board, Hyderabad -500001.
		2. Bharat Rashtira Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad-500034
		3. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033.
		4. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034.
24.	Tripura	1. Indigenous People's Front of Tripura	Dao	Old Kali Bari Road, Krishnanagar, Agartala-799001, Tripura.

		2. Tipra Motha Party	Pineapple	Khatian No. 1201, Mouja-Jirania, Revenue Circle-Jirania, R.S. Plot No. 1493/7543, C.S. Plot No. 471,468/P, Khumulwng, Tripura-799035.
		3. All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Stree, Kolkata-7000026 (West Bengal).
25.	Uttar Pradesh	1. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi-110001.
		2. Apna Dal (Soneylal)	Cup & Saucer	Village-Atrampur Nawabganj, Post-Atrampur District-Allahabad, Uttar Pradesh-229412.
26.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	Netaji Bhavan, T-2235/2, Ashok Nagar, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005
		2. All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal).

TABLE-III
(LIST OF FREE SYMBOLS)

1.	Air Conditioner
2.	Almirah
3.	Apple <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu, Kerala & Karnataka)</i>
4.	Baby Walker
5.	Balloon
6.	Bangles
7.	Basket containing Fruits <i>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)</i>
8.	Bat
9.	Batsman
10.	Battery Torch
11.	Bead Necklace
12.	Belt
13.	Bench
14.	Bicycle Pump
15.	Binoculars
16.	Biscuit
17.	Black Board
18.	Boat with Man and Sail
19.	Box
20.	Bread
21.	Bread Toaster
22.	Bricks
23.	Brief Case
24.	Brush
25.	Bucket
26.	Cake
27.	Calculator
28.	Camera
29.	Can
30.	Capsicum
31.	Carpet
32.	Carrom Board
33.	Cauliflower
34.	CCTV Camera

35.	Chain
36.	Chakki
37.	Chapati Roller
38.	Chappals
39.	Chess Board
40.	Chimney
41.	Clip
42.	Coat
43.	Coconut Farm
44.	Colour Tray & Brush
45.	Computer
46.	Computer Mouse
47.	Cot <i>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)</i>
48.	Crane
49.	Cube
50.	Cutting Pliers
51.	Diamond
52.	Diesel Pump
53.	Dish Antenna
54.	Dolli
55.	Door Bell
56.	Door Handle <i>(In all States and Union Territories except in the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand)</i>
57.	Drill Machine
58.	Dumbbells
59.	Dustbin
60.	Ear Rings <i>(In all States and Union Territories except in the States of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala and Karnataka)</i>
61.	Electric Pole
62.	Envelope
63.	Extension Board
64.	Flute
65.	Football Player
66.	Fountain
67.	Frock
68.	Frying Pan
69.	Funnel
70.	Gas Cylinder
71.	Gas Stove
72.	Gift Pack
73.	Ginger

74.	Gramophone
75.	Grapes
76.	Green Chilli
77.	Hand Cart
78.	Harmonium
79.	Head Phone
80.	Helmet
81.	Hour Glass
82.	Ice Cream <i>(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)</i>
83.	Immersion Rod
84.	Iron <i>(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana)</i>
85.	Jackfruit
86.	Kettle <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)</i>
87.	Kitchen Sink
88.	Lady Finger
89.	Lady Purse <i>(In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)"</i>
90.	Laptop
91.	Latch
92.	Letter Box
93.	Lighter
94.	Ludo
95.	Lunch Box
96.	Matchbox
97.	Mike
98.	Mixee
99.	Nagrik
100.	Nail Cutter
101.	Neck Tie
102.	Noodles Bowl
103.	Pan
104.	Pants
105.	Peanuts
106.	Pears <i>(Except in Tamil Nadu and Pudducherry)</i>
107.	Peas
108.	Pen Drive
109.	Pen Nib with Seven Rays

110.	Pen Stand
111.	Pencil Box
112.	Pencil Sharpener
113.	Pendulum
114.	Pestle and Mortar
115.	Petrol Pump
116.	Phone Charger
117.	Pillow
118.	Plastering Trowel
119.	Plate Containing Food
120.	Plate Stand
121.	Pressure Cooker
122.	Punching Machine
123.	Razor
124.	Refrigerator
125.	Ring
126.	Road Roller
127.	Robot
128.	Room Cooler
129.	Room Heater
130.	Rubber Stamp
131.	Safety Pin
132.	Saw (In all States and Union Territories except in the State of Kerala)
133.	School Bag
134.	Scissors
135.	Sewing Machine
136.	Ship
137.	Shoe
138.	Shutter
139.	Sitar
140.	Skiping Rope
141.	Slate
142.	Soap Dish
143.	Socks
144.	Sofa
145.	Spanner (In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand)
146.	Stapler
147.	Stethoscope
148.	Stool
149.	Stumps
150.	Swing
151.	Switchboard

152.	Syringe
153.	T.V. Remote
154.	Table
155.	Tea Filter
156.	Telephone
157.	Television
158.	Tennis Racket & Ball
159.	Tent
160.	Throwing a Javelin
161.	Tiller
162.	Toffees
163.	Tongs (In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand)
164.	Tooth Brush
165.	Tooth Paste
166.	Tray
167.	Triangle
168.	Truck (In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana)
169.	Trumpet
170.	Tube light
171.	Typewriter
172.	Tyres
173.	Vacuum Cleaner
174.	Violin
175.	Walking Stick
176.	Wall Hook
177.	Wallet
178.	Walnut
179.	Water Melon
180.	Water Tank
181.	Well
182.	Wheel Barrow
183.	Whistle
184.	Window
185.	Wool and Needle

***Election Commission of India has allocated - "Auto- Rickshaw", "Ganna Kisan", "Glass Tumbler", "Hockey and Ball" & "Pot" from the list of free symbols to newly registered State Political Parties as informed vide ECI's Letter No. 56/Misc./2025/PPS-II/772 dated 13/05/2025.**

SCHEDULE - II
FORM 'A'

**COMMUNICATION REGARDING PERSONS AUTHORISED TO INTIMATE NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE
NATIONAL/STATE POLITICAL PARTY**

(See Para 5 of the election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 2025 as issued by the State Election Commission of NCT of Delhi)

To

1. The State Election Commissioner,
N.C.T. of Delhi, Nigam Bhawan, Kashmere Gate, Delhi-110006
2. The Returning Officer for the _____ Ward of Municipal Corporation of Delhi.

Sub: Election to the Municipal Corporation of Delhi - Allotment of Symbols- Authorization of person to intimate names of candidates

Sir,

In pursuance of Rule 15 of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 and the Symbol Order made there-under by the State Election Commission of NCT of Delhi, I hereby communicate that the following person(s) has/have been authorized by the party, which is a National Party/State Political Party in(State) to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorized to send notice	Name of office held in the party	Name & Number of Municipal Wards in respect of which he has been authorized

2. The specimen signatures of the above-mentioned person(s) so authorized are given below

1. Specimen signatures of Shri _____

- (i)
(ii)
(iii)

2. Specimen signatures of Shri _____

- (i)
(ii)
(iii)

3. Specimen signatures of Shri _____

- (i)
(ii)
(iii)

Place : _____

Yours faithfully

Date : _____

President/Secretary
Name of the Party _____
Seal of Office:

FORM 'B'**NOTICE AS TO NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE POLITICAL PARTY**

(See para 5 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 2025
of State Election Commission of N.C.T. of Delhi)

To

1. The State Election Commission, N.C.T. of Delhi
Nigam Bhawan, Kashmere Gate, Delhi-110006
2. The Returning Officer for the _____ Ward of _____ Municipal Corporation of Delhi.

Sub : Election to Municipal Corporation of Delhi, 2025 –Setting up of candidate

Sir,

In pursuance of Rule 15 of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (as amended up-to-date) and the Symbol Order made there- under by the State Election Commission of NCT of Delhi. I hereby give notice that the following persons named in column 2 to 4 have been set up by _____ (National/State) Party as its candidates at the ensuing Election to Municipal Corporation of Delhi from the Ward noted against each:-

The persons whose particulars are mentioned in Col. 5 to 7 below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidates nomination being rejected on scrutiny.

No. & name of Ward of Municipal Corporation of Delhi	Name of the approved candidate	Father's/Husband's name of approved candidate	postal address of approved candidate and Mobile Number	Name of the substitute candidate (who will step in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny)	Father's/husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate and Mobile Number
1	2	3	4	5	6	7

Yours faithfully

(Name and signature of the authorized person of the party)
Seal of Office

Place: _____

Date: _____

(This form shall be signed in Ink/Ball pen and no facsimile signature will be accepted.)

N.B. (1) This must be delivered to the State Election Commission and Returning Officer concerned by **3.00 p.m** on the last date for nominations: Photostat copy of this form may be accepted only if it is signed by the Authorised Person of the National/State Party in ink/with Ball Pen only.

(2) In case the nomination paper of the main candidate of a National / State Party is accepted, the nomination paper filed by substitute candidate mentioned in Col. 5, 6, 7 shall be rejected by the Returning Officer.

(Seal of the Party)